

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :- 50/2023

GCMS NO. 2023/128

छाजुराम पुत्र नरसा जाति माली निवासी ढाणी पेमावाली ग्राम लालगढ़ तन्  
रामकुमारपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राजस्थान

.....वादी


- ब न अ म -

1. अशोक कुमार सैनी पुत्र रोहिताश्व
2. बीरबल सैनी पुत्र रोहिताश्व
3. मनोज कुमार सैनी पुत्र रोहिताश्व
4. शान्ति देवी पत्नी स्व. रोहिताश्व जाति माली निवासी ढाणी पेमावाली ग्राम लालगढ़ तन् रामकुमारपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राजस्थान।
5. संतरा सैनी पुत्री रोहिताश्व पत्नी विनोद निवासी ढाणी पेमावाली ग्राम लालगढ़ तन् रामकुमारपुरा हाल आबाद खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू राजस्थान।
6. कैलाश राम सैनी पुत्र मालाराम
7. जगदीश राम सैनी पुत्र मालाराम
8. श्योराम सैनी पुत्र मालाराम
9. सुन्दरी देवी पत्नी मालाराम
10. सरदाराराम सैनी पुत्र मालाराम जाति माली निवासी ढाणी पेमावाली ग्राम लालगढ़ तन् रामकुमारपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राजस्थान
11. मेवा देवी पुत्री मालाराम पत्नी मातादीन निवासी हाल आबाद खादरा तहसील नीम का थाना जिला सीकर राजस्थान।
12. सुनीता देवी पुत्री मालाराम पत्नी रामनारायण निवासी हाल आबाद धांधेला तन् पाटन तहसील नीम का थाना जिला सीकर राजस्थान।
13. सरवणी पुत्री मालाराम पत्नी हरीराम निवासी हाल आबाद खादरा तहसील नीम का थाना जिला सीकर राजस्थान।
14. सरोज पुत्री मालाराम पत्नी सुरेश निवासी हाल आबाद धांधेला तन् पाटन तहसील नीम का थाना जिला सीकर राजस्थान।
15. सरोज पुत्री मालाराम पत्नी जयसिंह निवासी हाल आबाद श्यालोदड़ा पोस्ट रामसिंह की ढाणी तन् पाटन तहसील नीम का थाना जिला सीकर राजस्थान।
16. कृष्ण कुमार पुत्र मूलचन्द
17. प्रकाश पुत्र मूलचन्द



उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलस्टर  
खेतड़ी, जिला झुंझुनू

18. बिन्दूराम पुत्र मूलचन्द
19. सुप्यार देवी पत्नी मूलचन्द
20. सुरेन्द्र कुमार पुत्र मूलचन्द जाति माली निवासी ढाणी पेमावाली ग्राम लालगढ़ तन् रामकुमारपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राजस्थान।
21. चावली पुत्री मूलचन्द पत्नी रमेश निवासी ढाणी पेमावाली ग्राम लालगढ़ हाल आबाद सुरदासवाली तन् कोटपूतली तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान।
22. ग्यारसीलाल पुत्र श्योला
23. मक्खनलाल पुत्र श्योला
24. मंगलाराम पुत्र श्योला
25. लिक्ष्मण पुत्र श्योला
26. साधुराम पुत्र श्योला जाति माली निवासी ढाणी पेमावाली ग्राम लालगढ़ तन् रामकुमारपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राजस्थान।
27. गीता पुत्री श्योला पत्नी रोताश निवासी ढाणी पेमावाली ग्राम लालगढ़ हाल आबाद जिला तहसील नीम का थाना जिला सीकर राजस्थान।
28. सरोज पुत्री श्योला पत्नी जगमाल
29. मनकोरी पुत्री श्योला पत्नी बनवारी
30. भादरमल पुत्र ईसरा  
जाति माली निवासी पेमावाली ग्राम लालगढ़ तन् रामकुमारपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राजस्थान
31. ग्यारसी पुत्री ईसरा पत्नी रामदेवा निवासी हाल आबाद खादरा तहसील नीम का थाना जिला सीकर राजस्थान (मृतक) पक्षकार प्रतिवादी संख्या 31/1 से 31/5
  - 31/1. लक्ष्मण पुत्र रामदेव
  - 31/2. रामचन्द्र पुत्र रामदेव
  - 31/3. हरफूल पत्र रामदेवा निवासी खादरा तहसील व जिला नीम का थाना राजस्थान।
  - 31/4. बुगली उर्फ विमला पुत्री रामदेवा पत्नी बीरबल निवासी ढाणी जगदीशपुरा पापड़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला नीम का थाना राजस्थान।
  - 31/5. लाली उर्फ लक्ष्मी देवी पुत्री रामदेवा पत्नी पिन्दू उर्फ नरेन्द्र सैनी निवासी वार्ड नं-18 छावनी जिला नीम का थाना राजस्थान।
32. मिश्री पुत्री ईसरा पत्नी पूर्णमल हाल आबाद अर्जुननगर दुर्गापुरा मकान नंबर 82, 83 जयपुर राजस्थान।
33. विमला पुत्री ईसरा पत्नी गीगाराम निवासी हाल आबाद ढाणी दुढानिया ग्राम संजयनगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राजस्थान।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 एवं पदेन सहायक कलस्टर  
 खेतड़ी, जिला झुंझुनू

34. श्रवण देवी पुत्री ईसरा पत्नी चन्द्रभान हाल आबाद अंधा बहरा नूनी सेकपुरा नारनौल तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
35. शांति पुत्री ईसरा पत्नी गीगाराम हाल आबाद ढाणी ढुढानिया ग्राम संजयनगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
36. भूरा पुत्र जोरा जाति माली निवासी ढाणी पेमावाली ग्राम लालगढ़ तन् रामकुमारपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
37. बनारसी देवी पत्नी महावीर प्रसाद पुत्रवधू ईसरा
38. राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र स्व. महावीर प्रसाद नवीरा ईसरा
39. अर्जुन पुत्र महावीर प्रसाद नवीरा ईसरा जाति माली निवासी ढाणी पेमावाली ग्राम लालगढ़ तन् रामकुमारपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
40. मूली देवी पुत्री स्व. महावीर प्रसाद नवीरा ईसरा पत्नी गिरधारी निवासी हाल आबाद खादरा तहसील नीम का थाना जिला सीकर राजस्थान (मृतक नाओलाद)
41. लाली देवी पुत्री महावीर प्रसाद नवीरा ईसरा पत्नी जयराम निवासी हाल आबाद ढाणी डेहरावाली निमोद रोड़ हंगोरा खादरा तहसील नीम का थाना जिला सीकर राजस्थान।
42. सुमित्रा पुत्री स्व. महावीर प्रसाद नवीरा ईसरा पत्नी सुरेश निवासी हाल आबाद ढाणी कंचनिया ग्राम बनवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राजस्थान।
43. उप पंजीयक खेतड़ी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
44. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी।

.....प्रतिवादीगण

दावा - खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :-

- |                        |         |                                      |
|------------------------|---------|--------------------------------------|
| 1. श्री शीशाराम गूर्जर | अभिभाषक | वादी                                 |
| 2. श्री प्रदीप शर्मा   | अभिभाषक | प्रतिवादी सं. 2, 6 से 10, 30, 36, 38 |

:- निर्णय :-

दिनांक :- 08/11/25

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2024 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि वाके ग्राम लालगढ़ पटवार हल्का पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं हाल जिला नीमकाथाना राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के हाल खाता संख्या 142 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 2983, 2984, 2985, 2987, 2988, 3019, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3114, 3115, 3116, 3117, 3119, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3130, 3131, 3133, 3134, 3137, 3138 कुल किता 29 कुल रकबा 7.80 हेक्टेयर में वादी के 1/4 हिस्से की भूमि का 12 फुट चौड़ा रास्ता कायम करते हुये मौका कब्जा काश्त के अनुसार खाता अलग कायम कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष पक्षकारान का खाता संयुक्त रखा जावे। उक्तानुसार तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को 2000/- रु. के खर्च पर मौका कमिश्नर

उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलस्टर  
खेतड़ी, जिला झुंझुनूं


नियुक्त कर आदेशित किया जाता है, कि वे पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06-11-2004 व राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प. 3 (17) राज-6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30-09-2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्य नजर रखते हुये माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म./न्याय/स्था./प-15/2008/विविध/10546 दिनांक 05-10-2020 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार खेतडी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार खेतडी ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./ 2025/ 90 दिनांक 18.01.2025 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादी विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने तहसीलदार खेतडी द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.01.2025 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.01.2025 (प्रदर्श -"अ-1 लगायत अ-13" तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श-"ब") का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.01.2025 (प्रदर्श -"अ-1 लगायत अ-13" तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श-"ब") के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

### आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.01.2025 (प्रदर्श -"अ-1 लगायत अ-13" तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श-"ब") के अंतिम डिक्री किया जाता है। वादी के हिस्से का अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.01.2025 (प्रदर्श -"अ-1 लगायत अ-13" तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श-"ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। तहसीलदार खेतडी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श-"ब" के अनुसार सीमाकांन करवायेगें। रहन यदि कोई हो तो खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हक हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

यह आज तारीख 08/1/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

  
( सुनील कुमार चौहान )  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, खेतडी  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलक्टर  
खेतडी, जिला झुझुनूं



वाद में डिक्री  
डिक्री व मुकदमे इवतदाई  
( आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दीवानी)  
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' -I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

छाजुराम पुत्र नरसा जाति माली निवासी ढाणी पेमाकाली ग्राम लालगढ़ तन्  
रामकुमारपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

.....वादी

— ब नाम —

अशोक कुमार सैनी पुत्र रोहिताश्व जाति माली निवासी ढाणी पेमाकाली ग्राम लालगढ़  
तन् रामकुमारपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 व अन्य

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत :- खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट 1955

मुकदमा नम्बर :- 50/2023

GCMS NO. 2023/128

निर्णय दिनांक :- 08/11/25

वादी की ओर से श्री शीशराम गूर्जर एडवोकेट की व प्रतिवादी संख्या 2, 6 से 10,  
30, 36, 38 की ओर से श्री प्रदीप शर्मा एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख  
.....08/11/25..... को बन्शी धर योगी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के समक्ष अंतिम  
निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

“अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.01.2025 (प्रदर्श -“अ-1 लगायत  
अ-13” तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श-“ब”) के अंतिम डिक्री किया जाता है। वादी के हिस्से का अलग से  
खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव  
दिनांक 18.01.2025 (प्रदर्श -“अ-1 लगायत अ-13” तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श-“ब”) इस निर्णय व  
डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श- “ब” के अनुसार  
सीमाकांन करवायेगें। रहन यदि कोई हो तो खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हक हिस्से में दर्ज  
किया जावे।”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगें।

यह आज तारीख 08/11/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

गई।



( सुनील कुमार चौहान )  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलक्टर  
खेतड़ी, जिला झुंझुनूं